निर्देश संख्या 45

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में,
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

सत्रहवाँ तल, जवाहर व्यापार भवन
(एस. टी. सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001

फा. सं. ए -110018/01/2021-सी. ए.क्यू .एम./1461-1486, **दिनांक: 16.11.2021**

विषय: दिल्ली-एन. सी. आर. में विद्यमान वायु गुणवत्ता के परिदृश्य में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्देश - फिजिकल मोड में स्कूल , कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को चलाना |

जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है (एतदपश्चात आयोग के रूप में संदर्भित) |

जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग को शक्तियां दी गयी हैं कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण एवं सुधार के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करे, निर्देश आदि जारी करे, जैसा कि वह आवश्यक या उचित समझे

जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (xi) आयोग को शक्ति देती है कि वह लिखित में किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है

जबकि, आयोग ने कई बार एन. सी. आर. में वायु प्रदूषण से सम्बंधित मामले को हरियाणा, राजस्थान,पंजाब, उत्तर प्रदेश और एन. सी. टी. दिल्ली सरकार और केंद्र एवं राज्य सरकारों/ जी . एन. सी. टी. डी. के साथ उठाया और एन.सी. आर. में वायु प्रदुषण को कम करने के लिए निर्देश, एडवाइजरी जारी की है और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्णयों को सूचित किया है स्थिति की समीक्षा करने के लिए समय- समय पर आयोग बैठकें आयोजित करता रहा है |

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 (2) (xi) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16.11.2021 को संवैधानिक निर्देश जारी किया जिसके तहत उपरोक्त संदर्भित विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए उपायों को कड़ाई के साथ शीघ्र कार्यान्वित करें |

जबकि, उपरोक्त निर्देशों के क्रमांक 7 के अनुसार यह निर्देशित किया गया था कि एन. सी. आर. में सभी पब्लिक और निजी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगले आदेशों तक बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमत होंगी ।

जबकि, वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मामले में पुनः समीक्षा की गयी हैं |

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 (2) (xi) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 16.11. 2021 के आदेश के क्रमांक 7 में दिए गए निर्देशों के अनुसार आयोग ने निम्नवत्त निर्णय लिया है: -

"एन. सी. आर. राज्य और एन. सी. टी. दिल्ली सरकार एन. सी. टी. , दिल्ली सरकार एन. सी. आर. के स्कूलों, कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में फिजिकल कक्षाएं पुनः आरम्भ करने के लिए विचार करके उचित निर्णय ले सकते हैं ▯यद्यपि जहां भी राज्य सरकारें/ जी. एन. सी. टी. डी. ऑनलाइन मोड में ऐसे स्कूलों / कॉलेजों/ शैक्षिणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति देते है वहाँ उन्हें परीक्षाओं और प्रयोगात्मक आदि के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी|"

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य-सचिव
दूरभाष सं० 011-23701197
ई-मेल : arvind.nautiyal@gov.in1

सेवा में

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
2. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सभी सदस्य।

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य-सचिव